शाहजहाँपुर पुलिस

प्रेस नोट सराहनीय कार्य दिनांक 19.12.2024

थाना निगोही पुलिस की बड़ी कार्यवाही *मु0अ0सं0 702/2024 धारा 191(2)/191(3) /190 /109(1) /352/333/115(2)/324(4)/140(1)/351(3)118(1) बीएनएस से संबंधित नामजद अभियुक्त रामराज उर्फ राजू को घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल के साथ किया गिरफ्तार।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर महोदय के निर्देशानुसार, पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन में एवं क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्यवेक्षण में जनपद में अपराधों की रोकथाम के सम्बन्ध में चलाये गये अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक थाना निगोही के नेतृत्व मे थाना निगोही पुलिस टीम द्वारा बडी कार्यवाही की गई है।

दिनांक 16.12.2024 को वादिनी श्रीमती जयादेवी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 702/2024 धारा 191(2)/191(3)/190/109(1) /352/333/115(2)/324(4) /140(1) /351(3) बीएनएस बावत अभियुक्तगण 1.श्रीकृष्ण पुत्र हीरालाल 2.रामवती पत्नी श्रीकृष्ण 3.कमलेश पुत्र श्रीकृष्ण 4.कल्लू उर्फ पातीराम पुत्र श्रीकृष्ण 5.रामसागर पुत्र श्रीकृष्ण 6.रवि पुत्र श्रीकृष्ण 7.बलराम पुत्र श्रीकृष्ण 8.चमेली पत्नी कल्लू उर्फ पातीराम 9.माया पत्नी रामसागर 10.शिल्पी उर्फ राधा पत्नी बलराम 11.सीमा पत्नी रवि 12.कमलेश की पत्नी नाम पता अज्ञात 13.कन्हैया पुत्र दयाराम 14.प्रदीप पुत्र प्यारे निवासीगण ग्राम भुन्डी थाना निगोही जनपद शाहजहाँपुर 15.ब्रजेश पुत्र दाताराम 16.रानी पत्नी ब्रजेश निवासी मो0 अजीजगंज थाना कोतवाली जनपद शाहजहाँपुर 17.राजू पुत्र हीरालाल 18.बबली पत्नी राजू जाति वर्मा निवासीगण मुकरमपुर थाना रोजा जनपद शाहजहाँपुर के द्वारा एक राय होकर वादिनी उपरोक्त के घर मे घुसकर गाली गलौज करते हुए जान से मारने की नियत से अपने हाथो मे लिये हुये लाठी डन्डो व धारदार हथियार से लैस होकर हमला करना ,तथा वादिनी के बहन के लडके अवनीश की कार न0 UP 25 DY 6576 क्षतिग्रस्त कर देने तथा वादिनी व वादिनी की पुत्री व वादिनी के साथ आये अवनीश शर्मा व विनय कनौजिया को घर से बाहर खीचकर मारना पीटना जिससे अवनीश शर्मा व विनय कनौजिया के गम्भीर चोटे आना तथा वादिनी की पुत्री को हत्या करने के इरादे से जबरदस्ती अपहरण कर ले जाने के सम्बन्ध मे पंजीकृत हुआ। जिसकी विवेचना थाना निगोही मे अपराध निरीक्षक श्री जुगुल किशोर पाल के द्वारा सम्पादित की जा रही है। पंजीकृत मुकदमें में आज दिनाँक 19.12.2024 को नामित अभियुक्तों मे से **रामराज उर्फ राजू पुत्र रामौतार उम्र करीब 28 वर्ष निवासी ग्राम मुतियासा थाना कांट जनपद शाहजहाँपुर हाल पता ग्राम मानपुर चचरी थाना रोजा जनपद शाहजहाँपुर** को मय घटना में प्रयुक्त अपाचे मोटरसाइकिल सहित स्थान कैमुआ पुल के पास नाले के पास से गिरफ्तार किया गया तथा नियमानुसार विधिक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। तथा मुकदमा उपरोक्त मे नामित शेष अभियुक्तो की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है।

गिरफ्तार किये गये अभियुक्तगण का नाम व पता

रामराज उर्फ राजू पुत्र रामौतार उम्र करीब 28 वर्ष निवासी ग्राम मुतियासा थाना कांट जनपद शाहजहाँपुर हाल पता ग्राम मानपुर चचरी थाना रोजा जनपद शाहजहाँपुर

गिरफ्तार शुदा अभियुक्तगणो का आपराधिक इतिहास

1.मु0अ0सं0-702/2024 धारा 191(2)/191(3)/190/109(1)/352 /333/115(2)/324(4)/140(1)/351(3) /118(1) बीएनएस

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. प्रभारी निरीक्षक अरविन्द सिंह चौहान थाना निगोही शाहजहाँपुर
2. अपराध निरीक्षक जुगुल किशोरपाल थाना निगोही जनपद शाहजहाँपुर
3. उ0नि0 उ0 नि0 राजेश कुमार थाना निगोही जनपद शाहजहांपुर
4. का0 1735 ज्ञानेन्द्र कुमार थाना निगोही जिला शाहजहाँपुर